तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट परसाराम बनाम तहसीलदार मु. न. 2021/176	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तारीख मेंजारीहुआ

पीठासीनअधिकारी

श्रीशिवपालजाट, आर.ए.एस.

उपस्थिति–

प्रार्थीगण स्वंय

श्री जगराम मीणा तहसीलदार, परबतसर

निर्णय

दिनांक :– 22.10.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चौहान ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पीह के खसरा नम्बर 1791 रकबा 0.0100 हैक्टयर, 1792 रकबा 0.0100 हैक्टयर, 1793 रकबा 0.0100 हैक्टयर, 1794 रकबा 0.0100 हैक्टयर, 1841 रकबा 3.60 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1795 रकबा 25.43 हैक्टयर भूमि स्थित है। इस भूमि में वादीगण के पिता का नाम हरलाल लिखा हुआ है जबकि वादीगण के पिता का सही नाम हरलाल है इसी भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2066 में नाम सही है। वादीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में पिता का नाम हरलाल दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से परसाराम पुत्र सलाराम व रामजीवण पुत्र सलाराम अंकित हो गया है। जिससे वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम पीह के खसरा नम्बर 1791, 1792, 1793, 1794, 1841, 1795 की भूमि में वादीगण परसाराम व रामजीवन के पिता का नाम सलाराम के स्थान पर हरलाल घोषित फरमाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 3 से 5 ने दिनांक 06.10.2021 को इकबालिया जबाब पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है तथा वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त किया जाकर वादी डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। जिसके बाद पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प पीह में नियत की गई, वादीगण स्वंय व प्रतिवादीगण सभी उपस्थित आये प्रतिवादीगण 1 , 2 ने जबाब पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार किया है तथा सम्वंत 2066 की जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम सही होना बताया है जिसके बाद लिपिकीय गलती से वादीगण के पिता का नाम हरलाल के स्थान पर सलाराम अंकित होना बताया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। साक्ष्य वादी में अपने शपथ पत्र पेश कर वाद की तायद की है।

पत्रावली में उभय पक्षकारो को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार वादीगण ने वाद के साथ सम्वत 2072 से 2075 व 2077 तक की जमाबन्दी पेश की है जिसमें ग्राम पीह के खसरा नम्बर 1791, 1792, 1793, 1794, 1841, 1795 कुल रकबा 29.07 हैक्टयर भूमि में वादीगण का नाम परसाराम,

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

रामजीवण पि. सलाराम रेगर दर्ज है, वादीगण ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि दस्तावेज पेश किये है जिसमें वादीगण के पिता का नाम हरलाल दर्ज है इसके साथ ही प्रतिवादी 2 से 5 इस विवादित भूमि में वादीगण के साथ रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्होनें अपने इकबालिया जबाब पेश कर स्वीकार किया है कि वादीगण के पिता का सही नाम हरलाल है तथा परसाराम, रामनिवास पि. सलाराम व परसाराम, रामनिवास पि. हरलाल चारो नाम दोनों वादीगण के ही इसके अतिरिक्त अन्य ओर कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं है। प्रतिवादी 1, 2 ने भी अपने जबाब दावो में बताया है कि वादीगण के पिता का बोलता नाम सताराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गलत है सम्वत 2066 में सही नाम हरलाल दर्ज है वर्तमान जमाबन्दी में पिता के नाम का गलत इन्द्राज हो रखा है । इसके साथ ही शिविर में मजमें आम उपस्थित ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से जानकारी करने पर भी सभी लोगे द्वारा वादीगण के पिता का नाम हरलाल होना बताया है। जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प पीह मे स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह के खसरा नम्बर 1791, 1792, 1793, 1794, 1841, 1795 कुल रकबा 29.07 हैक्टयर दर्ज परमाराम पुत्र सलाराम व रामजीवण पुत्र सलाराम के स्थान पर परसाराम पुत्र हरलाल व रामजीवण पुत्र हरलाल घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प पीह में मजमें आम सुनाया गया।

22/10/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)